[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनुदस्तखत जज
	दावा [illegible] 154/[illegible]
23-6-25	वकील वादी उपस्थित। [illegible] दिनांक 03-07-2025 को पेश हो। [illegible]
03.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान बाहुसीन सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश वादपत्र पत्रावली दिनांक 30.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय / आदेश वादपत्र पत्रावली दिनांक 31.07.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
31.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण मे समय अभाव के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय / आदेश वादपत्र पत्रावली दिनांक 04.08.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
04.08.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

रामचन्द्र बनाम परसाराम

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी
	पेशा उ.नं. – 154/2024	
	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
154 / 2024	2024 / 449	20.12.2024	04.08.2025

उनवान प्रकरण

रामचन्द पुत्र नोलाराम आयु 61 साल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादी–

बनाम्

1–परसाराम पुत्र नोलाराम आयु 72 साल

2–लक्ष्मीनारायण पुत्र नोलाराम आयु 55 साल

3–पदमाराम पुत्र नोलाराम आयु 58 साल

4–कालूराम पुत्र नोलाराम आयु 65 साल

5–रामेश्वर पुत्र हणमान आयु 52 साल

6–झाबर पुत्र हणमान आयु 48 साल

7–सुगनाराम पुत्र हणमान आयु 44 साल

8–ज्याना देवी पुत्री हणमान आयु 50 साल

जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

10–भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर।

11–मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रा[illegible] शाखा नाथूसर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

––प्रतिवादीगण––

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित :-

श्री सुदेश सामोता, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री धर्मेन्द्र सामोता, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से।

वाद पत्र बाबत् ईस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि तन ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1921, 3388 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.2900 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एंव 5 ता 7 के नाम दर्ज है। जो पक्षकारान की पैत्रिक भूमि है। राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4545/2067, 4546/2067 कुल किता–2 कुल रक्बा 2.6200 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के नाम दर्ज है। जो पक्षकारान की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि में हिस्सा 1/12 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या–4 कालूराम का नाम बलूराम गलत दर्ज है जिसको बलूराम पुत्र नोलाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र नोलाराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1656 रक्बा 2.2100 हैक्टर में 5/8 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एंव 5 ता 7 के नाम दर्ज है जो पक्षकारान की पैत्रिक भूमि है। राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खसरा नम्बर 2067/4736, 2067/4744, 3382, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3658, 3660 कुल किता–11 कुल रकबा 4.4400 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं 5 ता 7 के नाम दर्ज है जो पक्षकारान की पैत्रिक भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। जिनका सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 आपस में एक ही परिवार खानदान से है तथा कालूराम पुत्र नोलाराम ना. औलाद है। जिसने अपने हक हिस्सा की भूमियो का रजिस्टर्ड हक त्याग लेख दिनांक 07–11–2024 को उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर में हणमान पुत्र नोलाराम के पुत्रों क्रमश. झाबर, रामेश्वर, सुगनाराम पुत्रगण हणमान के हक में करवा दिया है एवं हणमान की पुत्री ज्याना देवी शादी शुद्धा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है एवं हणमान की पत्नी नाथी देवी फौत हो चुकी है। जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमियों का त्याग अपने भाईयों के हक मे कर रखा है एवं कृर्षि भूमियां वर्णित मद संख्या–1 ता 4 वाद पत्र पक्षकारान की पैत्रिक मौरूसी भूमियां है। जिनका पक्षकारान ने आपस में पारिवारिक सैटिलमेन्ट काश्त की सुविधा के अनुसार कर रखा है जिसके अनुसार राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 1921, 3388 कुल किता–2 कुल रक्बा 1.2900 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त 1/4 हिस्सा की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं इसी प्रकार कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 4545/2067, 4546/2067 कुल किता–2 कुल रक्बा 2.6200 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या–2 काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए उक्त हिस्सा 1/2 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 एवं प्रतिवादी संख्या–3 ता 8 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–2 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–4

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कालूराम का नाम बलूराम गलत दर्ज है जिसको बलूराम पुत्र नोलाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र नोलाराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1656 रकबा 2.2100 हैक्टर मे वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एंव 5 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 5/8 की भूमि पर प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त 5/8 हिस्सा की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 2067/4736, 2067/4744, 3382, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3658, 3660 कुल किता–11 कुल रक्बा 4.4400 हैक्टर में खसरा नम्बर 2067/4736 रकबा 1.2500 हैक्टर पर वादी रामचन्द्र काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 2067/4744 रकबा 1.2900 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या–3 पदमाराम काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 3658 रकबा 0.4400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 3660 रकबा 0.4300 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या–1 परसाराम काबिज काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3382 पर प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है एवं इसी अनुसार बैंक का रहन दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने व दुरूस्त करवाने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादी की भूमियों के कब्जा काश्त मे गजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नही है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों की खातेदारी दर्ज व दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु दिनांक 05–12–2024 को इन्कार हो जाने पर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने दावा पेश कर विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा डिकी फरमाये जाने का निवेदन करते हुए राजस्व ग्राम [illegible]नपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1921, 3388 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किता–2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं 5 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 4545/2067, 4546/2067 कुल किता–2 कुल रकबा 2.6200 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 एवं प्रतिवादी संख्या–3 ता 8 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने एवं उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–4 कालूराम का नाम **बलूराम पुत्र नोलाराम** के स्थान पर **कालूराम पुत्र नोलाराम** दुरूस्त किये जाने एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1656 रकबा 2.2100 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं 5 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 5/8 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 का नाम हजफ किया जाकर उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 2067/4736, 2067/4744, 3382, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3658, 3660 कुल किता–11 कुल रकबा 4.4400 हैक्टर में से खसरा नम्बर 2067/4736 रकबा 1.2500 हैक्टर का वादी रामचन्द्र को एवं खसरा नम्बर 2067/4744 रकबा 1.2900 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–3 पदमाराम को एवं खसरा नम्बर 3658 रकबा 0.4400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 3660 रकबा 0.4300 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–1 परसाराम को एवं खसरा नम्बर 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3382 का प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने एवं इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर संबंधित पक्षकार के बैंक का रहन संबंधित पक्षकार की हक हिस्सा की भूमि पर दर्ज किया जाकर दुरूस्त किये जाने एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक / साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 9 व 10 की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई। रजिस्टर्ड डाक के तामील करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 8 की ओर से राजीनामा पेश किये जाने पर तस्दीक किया गया। साक्ष्य वादी मे वादी रामचन्द्र व वादी साक्ष्य गवाह में महेन्द्र कुमार पुत्र बक्साराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये जाने पर प्रकरण को बहस में रखा गया। वकील वादी ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की चार जमाबंदीया, सम्वत 2027 से 2030 की जमाबन्दी, रजिस्टर्ड हकत्याग लेख दिनांकित 07.11.2024, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 27.06.1980, आधार कार्ड, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, पक्षकारान् वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य हुए राजीनामा दिनांकित 21.04.2025, साक्ष्य वादी में वादी व गवाह द्वारा प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तन ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1921, 3388 कुल किता–2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर में 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एंव 5 ता 7 के नाम एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 4545/2067, 4546/2067 कुल किता–2 कुल रक्बा 2.6200 हैक्टर में 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1656 रकबा 2.2100 हैक्टर में 1/8 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संख्या–1 ता 3 एवं 5 ता 7 के नाम एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 2067 / 4736, 2067 / 4744, 3382, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3658, 3660 कुल किता 11 कुल रकबा 4.4400 हैक्टर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एवं 5 ता 7 के नाम दर्ज होकर उक्त भूमियाँ वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान की पैत्रिक भूमियाँ होना प्रकट होता है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 8 आपस में एक ही परिवार खानदान से होने से उक्त भूमियाँ पैत्रक भूमि होना सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। पक्षकारान कालूराम पुत्र नोलाराम नाऔलाद होने से उनके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमियो का रजिस्टर्ड हक त्याग लेख दिनांक 07–11–2024 को उप पंजियक कार्यालय श्रीमाधोपुर मे अपने सगे भाई हणमान पुत्र नोलाराम के पुत्रों क्रमशः झाबर, रामेश्वर, सुगनाराम पुत्रगण हणमान के हक में करवाया जाना प्रकट होता है। उक्त प्रतिवादी संख्या 4 कालूराम का नाम बलूराम पुत्र नोलाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र नोलाराम दुरूस्त किये जाने एंव अपने–अपने कब्जे काश्त अनुसार भूमियों में अपना नाम दुरूस्त कराये जाने बाबत प्रस्तुत वादपत्र को वादी द्वारा पेश किया जाना एंव इस बाबत पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा होकर न्यायालय से राजीनामा तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। पक्षकारान् प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा पस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त [illegible] वाद बाबत ईस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई [illegible] है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम रतनपुरा [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1921, 3388 कुल किता–2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर मे वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एंव 5 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाने एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 4545/2067, 4546/2067 कुल किता–2 कुल रकबा 2.6200 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 एवं प्रतिवादी संख्या–3 ता 8 का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाने एवं उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–4 कालूराम का नाम बलूराम पुत्र नोलाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र नोलाराम दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1656 रकबा 2.2100 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 एंव 5 ता 7 के नाम दर्ज हिस्सा 5/8 की खातेदारी से वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 का नाम हजफ किया जाता है तथा उक्त हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 2067/4736, 2067/4744, 3382, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3658, 3660 कुल किता–11 कुल रक्बा 4.4400 हैक्टर में से खसरा नम्बर 2067/4736 रकबा 1.2500 हैक्टर का वादी रामचन्द्र को एवं खसरा नम्बर 2067/4744 रक्बा 1.2900 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–3 पदमाराम को एवं खसरा नम्बर 3658 रकबा 0.4400 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 3660 रकबा 0.4300 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–1 परसाराम को एवं खसरा नम्बर 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3401, 3382 का प्रतिवादी संख्या–5 ता 7 को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर संबंधित पक्षकारान् के बैंक का [illegible] के हक हिस्सा की भूमि पर दर्ज किया जाकर खाता दुरूस्त [illegible] जाती है एंव प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूमियो मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करें एंव ना दीगर से करवाये जाने हेतु पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण मे राजकीय हित एव राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:41 IST
Reason: SelfAttested